

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट रघुनाथगढ़)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

मुकदमा नं० 1/70 /15

निर्णय दिनांक : 01.06.2016

उनवान

1. मु० मुन्नीबाई पुत्री श्योरामसिंह पत्नी स्व० श्री परिक्षित सिंह जाति ठाकुर निवासी रघुनाथगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. छुटनी खां पुत्र मुन्शी खां मेव
2. साहबदीन
3. ईसमाईल खां
4. मौसम खां
5. मुस्ताक पुत्र श्री हजरू जाति मेव
6. रूजदार खां पुत्र सुप्पी खां
7. असरी पत्नी चावला
8. अतरी पत्नी चावखां
9. हमीदी पत्नी गफूर खां मेव निवासी रघुनाथगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.....असल प्रतिवादीगण

10. चतरबाई पुत्री श्योराम सिंह जाति ठाकुर
11. मानबाई पुत्री श्योराम सिंह जाति ठाकुर
12. मुन्नीबाई पुत्री श्योरामसिंह जाति ठाकुर
13. छिम्मोबाई पुत्री श्योरामसिंह जाति ठाकुर
14. बिमलाबाई पुत्री श्योरामसिंह जाति ठाकुर
15. सन्तोषबाई पुत्री श्योरामसिंह जाति ठाकुर
16. गायत्रीबाई पुत्री श्योरामसिंह जाति ठाकुर

(अन्तर्गत धारा 183, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 183, 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी हाल खसरा नम्बर 1279 रकबा 0.19, 1281 रकबा 0.06 किता 2 रकबा 0.25 हैक्ट० वाके ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त कुल कार्य कश्तकारी में किसी तरह की रूकावट मजाहमत पैदा नही करे न वादी को जबरन बेदखल करे न अपना नाजायज कब्जा करे न किसी तरह का जबरन निर्माण करावे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रघुनाथगढ़ में दिनांक 01.06.2016 को पेश हुई। उभयपक्षकारान राजस्व लोक अदालत में उपस्थित आये। उभयपक्षकारान ने उपस्थित होकर कथन किया कि विवादित आराजी की टीम बनाकर रिकार्ड व मौके के अनुसार पैमाईश

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

करा दी जावे। पैमाईश रिपोर्ट के अनुसार हम पक्षकारान अपनी आराजी पर काबिज रहेंगे। एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में मजाहमत व रुकावट नही करेंगे।

पत्रावली का लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट में अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली है। राजीनामे के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1279 रकबा 0.19, 1281 रकबा 0.06 किता 2 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम रघुनाथगढ तह0 रामगढ जिला अलवर की नियमानुसार टीम गठित कर मौके व रिकार्ड अनुसार पैमाईश करना सुनिश्चित करे। बाद पैमाईश पक्षकारान एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करेंगे व निर्माण आदि नही करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत रघुनाथगढ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट रघुनाथगढ़)
पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस
नुकदमा नं० 1/70 /15

निर्णय दिनांक : 01.06.2016

1. मु० मुन्नीबाई पुत्री श्योरामसिंह पत्नी स्व० श्री परिक्षित सिंह जाति ठाकुर निवासी रघुनाथगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
उनवान

- बनामवादी
1. छुटनी खां पुत्र मुन्शी खां मेव
 2. साहबदीन
 3. ईसमाईल खां
 4. मौसम खां
 5. मुस्ताक पुत्र श्री हजरू जाति मेव
 6. रूजदार खां पुत्र सुप्पी खां
 7. असरी पत्नी चावला
 8. अतरी पत्नी चावखां
 9. हमीदी पत्नी गफूर खां मेव निवासी रघुनाथगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
-असल प्रतिवादीगण
10. चतरबाई पुत्री श्योराम सिंह जाति ठाकुर
 11. मानबाई पुत्री श्योराम सिंह जाति ठाकुर
 12. मुन्नीबाई पुत्री श्योरामसिंह जाति ठाकुर
 13. छिम्मोबाई पुत्री श्योरामसिंह जाति ठाकुर
 14. बिमलाबाई पुत्री श्योरामसिंह जाति ठाकुर
 15. सन्तोषबाई पुत्री श्योरामसिंह जाति ठाकुर
 16. गायत्रीबाई पुत्री श्योरामसिंह जाति ठाकुर

(अन्तर्गत धारा 183, 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ़ विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1279 रकबा 0.19, 1281 रकबा 0.06 किता 2 रकबा 0.25 हैक्ट० वाके ग्राम रघुनाथगढ़ तह० रामगढ़ जिला अलवर की नियमानुसार टीम गठित कर मौके व रिकार्ड अनुसार पैमाईश करना सुनिश्चित करे। बाद पैमाईश पक्षकारान एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करेगे व निर्माण आदि नही करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.06.2016 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)